# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय अपरान्ह 4.30 बजे

उपस्थितिः–

| | |
|---|---|
| 1. डा0 पृथ्वीश नाग, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर | – अध्यक्ष |
| 2. श्री विजय कुमार, वित्त नियन्त्रक, म0मो0 मा0 प्रौद्यो0 वि0वि0, गोरखपुर (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | – सदस्य |
| 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) | – सदस्य |
| 4. कुलसचिव, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर | – सदस्य |
| 5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | – सदस्य |
| 6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | – सचिव |

## कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
   **वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।**

2. विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2017–18 पर विचार।
   **सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के वार्षिक बजट को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।**

3. विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2016–17 जलपान मद में वृद्धि पर विचार।
   **वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सत्र 2016–17 के जलपान मद में रूपये 5 लाख की वृद्धि विश्वविद्यालय बजट के अन्य मदों के बचत के अधीन किये जाने की संस्तुति की गयी।**

4. (क) अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 01.03.2017 द्वारा एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम सत्र 2016–17 के बजट प्रस्ताव पर विचार।
   **सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रस्तावित एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम बजट सत्र 2016–17 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।**

   (ख) अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 01.03.2017 द्वारा बी0बी0ए0 पाठ्यक्र के बजट सत्र 2016–17 पर विचार।
   **सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रस्तावित बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2016–17 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।**

5. पूर्वान्चल संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं को रखने हेतु विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।
   **सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अस्पष्ट एवं अधूरा होने के कारण निर्णय लिया कि पुनः पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाय जिसमें यह स्पष्ट हो कि किन वस्तुओं को संग्रहित करना है और उस संग्रहित किये जाने वाले प्रत्येक वस्तु के क्रय पर तथा संग्रहालय के अनुरक्षण पर कुल कितना व्यय आयेगा।**

6. प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे एम0 एस–सी0 "पर्यावरण विज्ञान" सत्र 2016–17 एवं 2017–18 हेतु प्रस्तावित बजट प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा समन्वयक,एम0एस–सी0 पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तावित वजट सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

7. प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विभाग द्वारा बी0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान के खाता सं0 110592 में कुल रू0 257518/– अवशेष है, जिसका 40% अंशदान को सामान्य निधि में तथा शेष धनराशि एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान के खाते में स्थानान्तरण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही बी0एस–सी0 पर्यावरण विभाग के उक्त खाते को बन्द किये जाने की भी संस्तुति की गयी।

8. क्रीड़ा परिषद में प्राप्त महाविद्यालयों के शुल्क से विश्वविद्यालय के सामान्य खाता में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश के अनुसार प्राप्त आय का स्थानान्तरण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा क्रीड़ा परिषद स्ववित्तपोषित योजना के लिये जारी शासनादेश से आच्छादित न होने के कारण उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

9. रोवर्स एवं रेंजर्स योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय का स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश के अनुसार प्राप्त आय का सामान्य खाता में स्थानान्तरण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा रोवर्स एवं रेजर्स योजना स्ववित्तपोषित योजना के लिए जारी शासनादेश से आच्छादित न होने के कारण उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

10. श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, के पत्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर शासनादेश के अनुसार ग्रेड पे 1800 के स्थान पर ग्रेड पे 1900 में परिवर्तित करने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भेज कर शासन की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी तकनीकी पद लैब बियरर को तकनीकी पदों के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अधीन ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर ग्रेड वेतन 1900 दिये जाने की संस्तुति की गयी।

11. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.09.2016 में लिये गये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से रू0 50.00 क्रीड़ा शुल्क लेने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थिति समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का क्रीड़ा परिषद की सदस्यता अनिवार्य होने के कारण उनसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्रीड़ा शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

12. महामंत्री छात्र संघ के पत्र दिनांक 18.10.2016 द्वारा फोटो कापी मशीन क्रय हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मत से निश्चय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दो फोटो स्टेट मशीन लाइब्रेरी में लगाये जाने एवं छात्रो से एक कापी के लिये न्यूनतम एक रूपया और एक से अधिक प्रत्येक फोटो कापी हेतु 50 पैसे प्रतिकापी की दर से लिये जाने की संस्तुति की गयी।

13. विश्वविद्यालय में कर्मचारी/शिक्षक से की गयी जी0पी0एफ0 की कटौती के सम्बन्ध में सी0ए0 द्वारा लेजर का मिलान किया गया जिसमें व्याज में वर्तमान रकम से अन्तर होने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुए आगणित ब्याज की धनराशि की मॉग का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।

14.रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम आपदा प्रबन्धन के बजट सत्र 2016–17 पर विचार।

सम्यक विचारोपान्त वित्त समिति द्वारा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के अन्तर्ग स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम आपदा प्रबन्धन के बजट सत्र 2016–17 के प्रस्ताव को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

15. निर्माणाधीन कामर्स भवन में फर्नीचर लगवाने सम्बन्धी अभियन्त्रण विभाग के प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त नवनिर्मित कामर्स भवन में फर्निचर लगवाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य हेतु विस्तृत आगणन के साथ प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

16. विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विभाग से सटे गार्डेन के रख–रखाव हेतु रू0 1000/– स्थाई अग्रिम की मॉग पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा गार्डेन के रख–रखाव का कार्य विभाग के स्थाई अग्रिम से किये जाने की संस्तुति की गयी।

17. अध्यक्ष गणित विभाग के पत्र दिनांक 02.11.2016 द्वारा प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के प्रस्तुत देयक के भुगतान पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के लिये शिक्षकों द्वारा दिये गये व्याख्यान के निमित्त लेखा विभाग को अब तक उपलब्ध कराये गये पारिश्रमिक देयकों का भुगतान सामान्य कोष से किये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही भविष्य के लिये प्री पी–एच0डी0 पाठ्क्रम के लिये शिक्षकों के व्याख्यान के पारिश्रमिक भुगतान सम्बन्धी प्रकरण को एकेडमिक कौसिल मे निर्णय हेतु रखे जाने की संस्तुति की गयी।

18. प्रो0 एच0एस0शुक्ल, पूर्व समन्वयक के पत्र द्वारा मानदेय के भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 एच0एस0 शुक्ल के उक्त प्रस्ताव पर पूर्व में निर्धारित प्राविधान के अधीन कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

1. आउट सोर्सिग के आधार चतुर्थ/तकनीकी श्रेणी के पदों पर कर्मचारी रखे जाने के प्रकरण पर विचार।

   (क) विश्वविद्यालय कार्यहित में विश्वविद्यालय के अतिथिगृह में कैटरिंग/रख–रखाव के कार्य के लिये विश्वविद्यालय में कार्यरत आउट सोर्सिग एजेन्सी से अनुमोदित दरों पर कुल 09 (नौ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कार्य लेने तथा नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

(ख) विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्सिंग पूर्ण होने के बाद आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया :—

(i) प्रो0 चितरंजन मिश्र, समन्वयक

(ii) वित्त अधिकारी

(iii) कुलसचिव

2. विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा तीन वर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण के लिये अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से सम्पर्क किया जिसमें तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रू0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार मात्र) है। अतः तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 1,00,000.00 एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 1,50,000.00 सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

3. गृह विज्ञान विभाग के लैब ग्रान्ट में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के सामान्य कोष के बजट वर्ष 2017—18 में गृह विज्ञान विभाग के लैब ग्राण्ट के बजट प्राविधान को सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के लिये रू0 50,000/— से बढ़ाकर रू0 2,00,000/— किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगाये गये होमगार्डस एवं सेवकों की शासनादेश के अनुसार डयूटी भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा शासनादेश सं0 58/2016/2576/95—16—258 हो0गा0/81 दिनांक 08.12.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगाये गये होमगार्डस स्वंसेवकों की डयूटी भत्ते को बढ़ाये जाने की संस्तुति की गयी।

5. विश्वविद्यालय अभियन्ता के पत्र दिनांक 25.03.2017 द्वारा विद्युत एवं सेनेटरी सम्बन्धित सामग्रियों एवं एयर कंप्रेसर मशीन के क्रय प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अभियन्ता के क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

6. महामंत्री के पत्र दिनांक 18.03.2017 में निम्नलिखित आधार पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

1. तत्कालीन कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुति कि मेडिक्लेम पालिसी केवल व केवल राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी द्वारा ही कराया जाय को धता बताते हुए अपने कुत्सित प्रयासों से निजी बीमा कम्पनियों द्वारा मेडिक्लेम बीमा पालिसी लाभ किया जा रहा है।
2. कुलपति को सम्बोधित महामंत्री के पत्र दिनांक 12.05.2016 पर कुलपति जी द्वारा कुलसचिव को राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी के माध्यम से ही मेडिक्लेम पालिसी कराने हेतु आदेशित किया गया था। इसके साथ कुछ कर्मचारियों द्वारा कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को इस आधार पर अभी तक कि बीमा कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और जो उन लोगों ने अपने स्वयं अथवा परिवार का छायाचित्र एवं फोन आदि नम्बर दिया है, उसके आधार पर मेडिक्लेम कटौती वेतन से न किया जाय और उन्होनें इससे सहभागी होने से इन्कार किया से सम्बन्धित टिप्पणी संलग्न है।

वित्त समिति प्रकरण में समस्त तथ्यों से अवगत हुई। यह प्रकरण विगत कार्यपरिषद एवं वित्त समिति में प्रस्तुत होने के उपरान्त मेडिक्लेम पालिसी लागू करने की कार्यवाही हुई। जहाँ तक इस आधार पर कि समिति के संस्तुति से इतर कम्पनी द्वारा मेडिक्लेम पालिसी को लागू किया जा रहा, के सन्दर्भ में यह पाया गया, कि तत्कालीन कुलपति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत होने एवं अन्य राष्ट्रीयकृत कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों/कोटेशन के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त दिनांक 18.10.2016 को अनुमति प्रदान की गयी थी। यह भी पाया गया कि यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है, तथा जो भी धनराशि इन्श्योरेंस कम्पनी का दी जायेगी, उससे विश्वविद्यालय के हित को संरक्षित करते हुए भुगतान के पूर्व बैंक गारण्टी के रूप में पर्याप्त सिक्योरिटी प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह संस्था एम0 जि0 पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में विगत तीन वर्षों से कार्य कर रही है। उक्त के स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त तथ्य भी सामने आये, जो वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :–

1. यह फर्म बरेली विश्वविद्यालय में 2015 से कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा सफलता पूर्वक प्रदान की जा रही है।
2. सम्बन्धित फर्म द्वारा अन्य दोनों कम्पनियों में से सर्वाधिक हास्पिटल गोरखपुर शहर, लखनऊ एवं दिल्ली शहरों में नेटवर्क मे सम्मलित होने का उल्लेख किया है इत्यादि अवगत कराया गया है। अन्य की तुलना में प्रीमियम का दर कम है।
3. फर्म को भुगतान बैंक गारण्टी प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा तथा बरेली विश्वविद्यालय, बरेली में वर्ष 2015, 2016 मेडिकल प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को प्रदान की गयी फर्म से प्राप्त सूची संलग्न है।
4. मेडिक्लेम पालिसी लागू करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष कर्मचारी संघ द्वारा मीटिंग में अवगत कराया गया कि मेडिक्लेम पालिसी लागू करने हेतु कर्मचारियों द्वारा कार्यकारिणी एवं आम सभा द्वारा सहमति भी दी गयी है। विश्वविद्यालय के कुल लगभग 400 कर्मचारियों में से 271 कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से मेडिक्लेम पालिसी हेतु अपना फोटोयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तथा वेतन से कटौती कराये जाने की सहमति भी प्रदान की गयी है।
5. विश्वविद्यालय के बजट में वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार पॉच बड़ी बिमारियों पर प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 15 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, कार्य परिषद के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा अनुमन्य की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए बीमारियों पर क्षतिपूर्ति हेतु चिकित्सकीय व्यय मद के स्थान पर मेडिक्लेम सुविधा मद के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 25 लाख का बजट प्राविधान किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी।
6. विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मेडिक्लेम सुविधा के लिए न्यूनतम दर दाता फर्म स्टार हेल्थ एण्ड एलायड इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के द्वारा कुल 238 कर्मचारियों के लिए कुल प्रिमियम देय धनराशि रू0 12,30,000/–(बारह लाख तीस हजार मात्र) सभी कर सहित निर्धारित की गयी थी, परन्तु उक्त फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि 271 कर्मचारियों मेडिक्लेम सुविधा के निमित्त कुल प्रिमियम धनराशि रू0 20,50,000/–

(बीस लाख पचॉस हजार मात्र) की मॉग की गयी है जिसकी वर्तमान दर की वैद्यता तिथि 31 मार्च, 2017 तक है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए फर्म स्टार हेल्थ एण्ड एलायड इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से कर्मचारियों के मेडिक्लेम सुविधा कुल प्रिमियम रू0 20,50,000/–(बीस लाख पचॉस हजार मात्र) के अधीन कराये जाने हेतु समिति सहमत हुई।

अतः वित्त समिति कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा हेतु पूर्व में पारित वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णयों के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। कम्पनी के साथ अनुबन्ध एवं भुगतान के पूर्व विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से उनके यहॉ इस फर्म/कम्पनी से प्रदर्शन एवं अनुभव की पुष्टि कर लें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

| | |
|---|---|
| प्रतिनिधि वित्त विभाग उ0प्र0 शासन<br>सदस्य | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर<br>(प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)<br>सदस्य |
| कुलसचिव<br>सदस्य | परीक्षा नियन्त्रक<br>सदस्य |
| वित्त अधिकारी<br>सचिव, वित्त समिति | कुलपति<br>अध्यक्ष, वित्त समिति |

# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष

स्मयः पूवान्ह 10.00 बजे

उपस्थितिः–

1. प्रो0वी0के0सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर – अध्यक्ष
2. अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर – सदस्य
   (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर – सदस्य
   (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)
4. कुलसचिव, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – सदस्य
5. परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर – सचिव

### कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

   (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 के बिन्दु सख्या 5 पर लिए गये निर्णय विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अस्पष्ट एवं अधूरा होने के कारण पुनः पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाय जिसमें यह स्पष्ट हो कि किन वस्तुओं को संग्रहित करना है और उस संग्रहित किये जाने वाले प्रत्येक वस्तु के क्रय पर तथा संग्रहालय के अनुरक्षण पर कुल कितना व्यय आयेगा, के संदर्भ में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर वित्त समिति की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

   (ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.3.2017 के विन्दु संख्या 12 पर सर्वसम्मत से यह निश्चय किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दो फोटो स्टेट मशीन लाइब्रेरी मे लगाये जाने एवं छात्रों से एक कापी के लिये न्यूनतम एक रूपया और एक से अधिक प्रत्येक फोटो कापी हेतु 50 पैसे प्रतिकापी की दर से लिये जाने की संस्तुति की गयी, के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा छात्रों से एक रूपया प्रतिकापी की दर से लिये जाने एवं फोटोस्टेट मशीनों के रख–रखाव तथा फोटो कापी करने हेतु आउटसोर्सिंग से कर्मी रखे जाने के संशोधन के साथ उक्त की सम्पुष्टि की गयी।

   (ग)वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.3.2017 के विन्दु संख्या अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या 19–1(क) के संदर्भ में समन्वयक, अतिथि गृह कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी से वार्ता कर अतिथि गृह के बेहतर अनुरक्षण तथा गुणात्मक सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें।

   (घ) उक्त संशोधनों के साथ शेष अन्य विन्दुओ की सम्पुष्टि की गयी।

2. डा0 सुग्रीव नाथ तिवारी, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग के पत्र दिनांक 08.10.2016 द्वारा परीक्षकों के परीक्षा वर्ष–2015 के यात्रा देयक के भुगतान के प्रस्ताव पर विचार।

   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा डा0 सुग्रीव नाथ तिवारी अध्यक्ष भौतिकी विभाग के द्वारा परीक्षकों के परीक्षा वर्ष–2015 के यात्रा देयकों का परीक्षण यात्रा–भत्ता नियमावली के अनुसार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

31/8/17

3. संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 07.07.2017 के विन्दु सं0–2 पर लिए गये निर्णय के अनुसार प्रवेश परीक्षा–2017 में प्रत्येक कक्षा के मेरिटलिस्ट में प्रथम अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं का शुल्क माफ करने के प्रकरण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निश्चय किया गया कि उपरोक्त प्रकरण पर स्पष्ट एवं पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।

4. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.06.2017 के विन्दु सं0–3 के विन्दु (ख) में निम्नवत् निर्णय ''समिति ने सर्वसम्मति से बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारण हेतु वित्त समिति को संदर्भित किया।'' पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2013 में निर्धारित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम, बैचलर इन फिजियोथेरेपी एवं बैचलर इन पैथालॉजी मुख्य परीक्षा की भॉति बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रू0 5100.00 (पॉच हजार एक सौ रूपये) प्रतिवर्ष एवं पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष हेतु रू0 5100 परीक्षा शुल्क+300 डिग्री शुल्क कुल रू0 5400=00 लिये जाने की संस्तुति की गयी।

5. कुलपति जी के स्मार्ट क्लास से सम्बन्धित बैठक दिनांक 02.08.2017 में लिए गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक विभाग, अनुभाग एवं संकाय हेतु स्थाई अग्रिम की धनराशि को रू0 5,000=00 (पॉच हजार) से बढ़ाकर रू0 10,000=00 (दस हजार) किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रत्येक विभाग, अनुभाग एवं संकाय हेतु स्थाई अग्रिम की धनराशि को रू0 5000.00 से बढ़ाकर रू0 10,000.00 किये जाने की संस्तुति की गयी। अनुरक्षण सम्बन्धी फुटकर कार्य सम्बन्धित संकाय/विभाग/अनुभाग द्वारा कराया जा सकता है। एक बाउचर पर अधिकतम रू0 2000=00 का व्यय अनुमन्य होगा। उक्त के निमित्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी के पदनाम से उनके द्वारा खाता खोला जायेगा।

6. 35वें दीक्षान्त समारोह में गठित पदक वितरण समिति एवं कुलपति कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठें वेतनमान के अनुसार मूलवेतन का 25% धनराशि भुगतान कुलपति जी स्वीकृति के उपरान्त किया गया है जिसे वित्त समिति के अनुमोदनार्थ रखे जाने पर विचार।

समिति द्वारा उक्त भुगतान का अनुमोदन किया गया, भविष्य में ऐसे समस्त कार्यों के लिऐ कर्मचारियों के नाम का अनुमोदन कार्य कराने के पूर्व प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य लिये जाने एवं मूलवेतन का 10 प्रतिशत भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी। इसके अलावा जिस विभाग के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के मूलवेतन के बराबर मानदेय दिया जा रहा है, वहॉ पर सातवे वेतनमान के मूल वेतन का 25 प्रतिशत मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने की संस्तुति की गयी।

7. परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.07.2017 द्वारा उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–1, पत्र सं0–सी0एम0–44/सत्तर–1–2017 दिनांक 27 जून, 2017 बाबू जंगी सिंह महाविद्यालय बढ़या चौक, पीपीगंज, गोरखपुर के सत्र 2011–12 में बी0ए0 प्रथम वर्ष की जमा परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाय एवं वित्त समिति को सूचित भी कर दिया जाय, से अवगत होना।

समिति परीक्षा समिति के उक्त शुल्क वापस किये जाने के निर्णय से अवगत हुई।

8. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु सं0–21 द्वारा 'विश्वविद्यालय अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदो के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर एक सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की' से अवगत होना एवं तत्क्रम में नियत मानदेय निर्धारण पर विचार।

समिति निश्चित मानदेय के आधार एक सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता(सिविल) से सेवा लेने के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के निर्णय से अवगत हुई एवं सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि के बराबर मानदेय निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

31/8/17

9. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु सं0–22 द्वारा 'विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर रिक्त डाक्टर के पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर दो डाक्टर एम0डी0 / एम0बी0बी0एस0 से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की' से अवगत होना तथा ततक्रम में नियत मानदेय निर्धारण पर विचार।

समिति कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु सं0–22 द्वारा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर रिक्त डाक्टर के पदो के सापेक्ष निश्चित मानदेयच के आधार पर दो डाक्टर एम0डी0 / एम0बी0बी0एस0 से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की से अवगत हुई एवं मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में सी0एम0ओ0 से जानकारी प्राप्त कर अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

10. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु सं0–32 द्वारा 'विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान RTGS/Online/e-payment के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करने की अनुमति प्रदान की' से अवगत होना।

वित्त समिति कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु संख्या– 32 विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान **RTGS/Online/e-payment** के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करने की अनुमति प्रदान की से अवगत हुई।

11. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के विन्दु सं0–39 द्वारा विश्वविद्यालय में लगे वाटर प्यूरीफायर, फोटोकापी मशीन, वाटर कूलर की मरम्मत हेतु A.M.C. कर लिया जाये, से अवगत होना।

वित्त समिति कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दु सं0–39 द्वारा विश्वविद्यालय में लगे वाटर प्यूरीफायर, फोटोकापी मशीन, वाटर कूलर की मरम्मत हेतु **A.M.C.** कर लिया जाय से अवगत हुई।

12. कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दु सं0–29 द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यों का Automation कराये जाने हेतु National Informatics Centre (NIC) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से Technical Support (तकनीकी सहायता)प्राप्त किये जाने के निर्णय से अवगत होते हुए उक्त कार्य हेतु दो तकनीकी सहायकों के मानदेय निर्धारण पर विचार।

वित्त समिति कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दु सं0–29 द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यों का **Automation** कराये जाने हेतु **National Informatics Centre (NIC)**राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से **Technical Support**(तकनीकी सहायता) प्राप्त किये जाने के निर्णय से अवगत हुई तथा सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी सहायकों को **NIC** द्वारा निर्धारित दर पर नियत मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।

13. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग के बजट सत्र 2017–18 पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोजॉजी विभाग के बजट सत्र 2017–18 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी। इसके साथ ही अन्य स्ववित्तपोषित विभागों का भी सत्र 2017–18 का बजट प्रस्ताव प्राप्त कर अगली वित्त समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

14. सचिव, क्रीड़ापरिषद के पत्र दिनांक 19.08.2017 द्वारा क्रीड़ापरिषद के बजट सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 के बजट पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति क्रीड़ा परिषद के बजट सत्र 2016–17 के वास्तविक आय–व्यय की सीमा के अधीन पारित किये जाने की संस्तुति की गयी, साथ ही क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रस्तावित दरों की स्वीकृति के साथ बजट सत्र 2017–18 का वार्षिक बजट पारित किये जाने की संस्तुति की गयी। वर्तमान सत्र में क्रीड़ा परिषद द्वारा क्या–क्या कार्य कराया जाना है उसका विवरण तैयार कर लिया जाय।

31/8/17

15. अभियात्रिकी विभाग के प्रस्ताव दिनांक 18.08.2017 जो कुलसचिव द्वारा अग्रसारित है, शैक्षणिक सत्र 2017–18 के संचालन हेतु आवश्यक प्रकाश एवं जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु 10 कुशल एवं 10 अकुशल श्रमिक आउटसोर्सिंग से रखे जाने पर विचार।

अभियात्रिकी विभाग के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में आवश्यक विद्युत सम्बन्धी कार्य जलापूर्ति की व्यवस्था तथा अन्य कार्यो हेतु शासनादेश संख्या 2734/सत्तर–4–2005–4(15)/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के बिन्दु संख्या–3 (4) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कार्यहित में 10 कुशल तथा 10 अकुशल चतुर्थ श्रेणी कर्मी से आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित दर पर कार्य लिये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त कार्य हेतु रखे जाने वाले कार्मिकों को कुलसचिव द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कार्य पर रखा जायेगा। विश्वविद्यालय के अभियन्त्रण विभाग के अधीन उक्त कर्मी कार्य करेंगें, जिसका पर्यवेक्षण कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

16. कुलसचिव के प्रस्ताव दिनांक 09.08.2017 द्वारा विश्वविद्यालय कैम्पस, विभागों, संकायों, कालोनियों, प्रशासनिक भवन में उगे घास की कटाई एवं फूल पौधों के रख–रखाव हेतु 8 व्यक्तियों को आउट सोर्सिंग पर रखे जाने एवं विभिन्न उपकरण क्रय किये जाने पर विचार ।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय कैम्पस,विभागों, संकायों, कालोनियों, प्रशासनिक भवन में उगे घास एवं झाड़ियों की नियमित कटाई–छटाई एवं फूल पौधो के रख–रखाव हेतु शासनादेश संख्या 2734/सत्तर–4–2005–4(15)/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के बिन्दु संख्या–3 (4) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कार्यहित में 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने की संस्तुति की गयी।

17. परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 16.08.2017 द्वारा राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परीक्षा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.6.2017 के बिन्दु संख्या–03 द्वारा कराये जाने के निर्णय लिये गये थे। उक्त परीक्षा को छुटी हुई प्रायोगिक परीक्षा मानते हुए रू 2500.00 प्रति परीक्षार्थी शुल्क निर्धारित किये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्य परिषद के उपरोक्त निर्णय से अवगत होते हुए राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परीक्षा को छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा के समान रू0 2500=00 प्रति परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क लिये जाने की सहमति दी गयी।

18. समन्वयक,औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 12.07.2017 जो कुलसचिव द्वारा अग्रसारित है, पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

1. अधिष्ठाता छात्र के प्रस्ताव दिनांक 25.08.2017 के द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कर्मचारियों को एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में विचार।

   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

2. प्रो0 संजय बैजल अध्यक्ष, एलुमिनाई एसोसिएशन, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर के प्रस्ताव दिनांक 23.08.2017 द्वारा एलुमिनाई एसोसिएशन सदस्यता शुल्क रू0 200=00 निर्धारण पर विचार।

   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेशित छात्रों से रू0 200=00 प्रति छात्र एलुमिनाई एसोसिएशन सदस्यता शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

3. प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता, समन्वयक प्रवेश परीक्षा–2017 के प्रस्ताव जों प्रवेश परीक्षा के लिये विभिन्न पारिश्रमिक दरों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित है, पर विचार।

31/8/17

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.05.2011 में प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित पारिश्रमिक दरों से सम्बन्धित विन्दु संख्या 5(2)(14) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की गयी–

"प्रवेश परीक्षा कार्यालय का पारिश्रमिक – रू0 15/– प्रति छात्र प्रवेश परीक्षा कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मियों का पारिश्रमिक इसी मद से देय होगा। समन्वयक व सहायक समन्वयक तथा कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मियों के मध्य पारिश्रमिक हेतु निर्धारित धनराशि का वितरण 6 : 4 के अनुपात में होगा। बिन्दु संख्या 5(2)(15) को उक्त के क्रम में विलोपित कर दिया गया"।

4. अध्यक्ष, भौतिकी विभाग के संलग्न पत्र दिनांक 27.07.2017 एवं कुलसचिव द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव जिसमें भौतिकी विभाग में एक इलेक्ट्रीशियन रखे जाने के सम्बन्ध में विचार।

   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अभियात्रिकी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये इलेक्ट्रीशियनों से ही उक्त कार्य लिये जाने की संस्तुति की गयी।

5. विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापना हेतु निर्धारित व्यय के सम्बन्ध में विचार।

   वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापना के निमित्त होने वाले भुगतान प्रतिमा की कीमत रू0 24 लाख में नियमानुसार अनुमन्य जी0एस0टी0 पृथक से जोड़कर किये जाने की तथा उक्त के क्रम में प्रतिमा पर होने वाले व्यय को वास्तविक व्यय की सीमा तक बढाये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

31/8/17

| | | |
|---|---|---|
| वित्त अधिकारी<br>सचिव, वित्त समिति | परीक्षा नियन्त्रक<br>सदस्य | कुलसचिव<br>सदस्य |

| | |
|---|---|
| क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर<br>(प्रतिनिधि, सचिव उच्च शिक्षा) | अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर<br>(प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि) |

कुलपति<br>अध्यक्ष, वित्त समिति